

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी: पर्वत सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 01/2020

उनवान मुकदमा

1. गौतमलाल पिता सुर्या डामोर जाति भील उम्र 48 वर्ष निवासी घाटोल तहसील घाटोल जिला बांसवाडा (राजस्थान)

प्रार्थी

बनाम

1. राजेन्द्र मेर पिता स्व. श्री नथमल जैन, जाति ओसवाल जैन, उम्र 59 वर्ष, निवासी एम.जी. सर्कल के आगे, उपाध्याय गार्डन के पास बांसवाडा, तहसील व जिला बांसवाडा (राजस्थान)
2. तहसीलदार तहसील बांसवाडा व जिला बांसवाडा (राज.)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थी वकील : श्री राजेन्द्र शुक्ला

अप्रार्थी संख्या 1 अधिवक्ता : श्री हीरालाल जैन

अप्रार्थी संख्या 2 : तहसीलदार बांसवाडा

आदेश

दिनांक :-23-03-2022

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना-पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश बाबत प्रार्थना पत्र दिनांक 12.06.2020 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण की तरफ से निवेदन किया कि प्रार्थी ने एक वाद धारा 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में न्यायालय में प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत वाद ठोस आधारों पर होकर उसमें वादी/प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थी के एकल स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि खेवट खतौनी संख्या 691 नया पुराना 683 के आराजी सर्वे नम्बर 424/2 रकबा 1 बीघा, वाके बांसवाडा तहसील व जिला बांसवाडा (राज.) में स्थित है। जो कि पूर्व खातेदार रकमा पिता अमरा भील, निवासी श्यामपुरा व धना पिता नाथु भील, निवासी डोकर बडी से किमतन क्रय की थी। जरिये नामान्तरकरण संख्या 4426 दिनांक 01.01.2016 बेचान से सम्पूर्ण खाता नियमानुसार प्रार्थी के नाम दर्ज हुआ है। जो कि जमाबन्दी खतौनी ग्राम बांसवाडा संवत 2070 से 2073 तक में नियमानुसार दर्ज रेवेन्यु रेकॉर्ड है।

उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि आराजी सर्वे नम्बर 424/2 रकबा 1 बीघा में वर्तमान में कृषि कार्य नहीं हो रहा है। लेकिन उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि वर्तमान में पडत पडी हुई है। जिस पर प्रार्थी का शांतिपूर्ण कब्जा व आधिपत्य लम्बे समय से चला आ रहा है तथा उसका उपयोग व उपभोग प्रार्थी व परिवार के सदस्यों द्वारा शांतिपूर्ण तरिके से किया जा रहा है। उपरोक्त वर्णित आराजी सर्वे नम्बर 424/2 की भूमि पर प्रार्थी एवं उसके परिजनों के अलावा अन्य किसी बाहरी व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं है।

दिनांक 11.06.2020 को सुबह प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर गया तो उसे पता चला कि, अप्रार्थी संख्या 1 अपने कारीगर व मजदूरों से पीछे की ओर प्रार्थी की कृषि भूमि में अतिक्रमण करते हुए पक्ता निर्माण कार्य करवा रहा है। और प्रार्थी को धमकाने लगा कि उक्त जमीन मेरी है तुम्हे जो करना हो कर लो, मैं मेरे भूखण्ड पर निर्माण करके रहूंगा।

विगत कुछ माह पूर्व भी अप्रार्थी संख्या 01 अपने परिचित व रिश्तेदारान के मार्फत प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि के कृषि भूमि पर जबरन जोर-जबरदस्ती अतिक्रमण कर निर्माण कार्य करने की चेष्टा की थी। तब भी प्रार्थी व उसके परिचितों ने अप्रार्थी संख्या 01 को निर्माण कार्य करने नहीं दिया था। इस बाबत एक परिवाद भी प्रार्थी की ओर से पुलिस थाना कोतवाली, बांसवाडा को देने की बात कही थी। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 ने निर्माण कार्य नहीं करने बाबत प्रार्थी को आश्वस्त कर दिया था।

वर्तमान में लोकडाउन का दौर चला तब अप्रार्थी संख्या 01 ने उसका फायदा उठाते हुए प्रार्थी की कृषि भूमि पर जबरन अतिक्रमण करते हुए निर्माण कार्य करने की चेष्टा की। प्रार्थी संख्या 1 व उसके परिजन व रिश्तेदारान रसुख व पहुंच वाले हैं। जो कि अपनी ताकत व रूपों के दम पर प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित अपनी कृषि भूमि पर प्रार्थी को मेहरूम करते हुए अवैध तरिके से आधिपत्य स्थापित

h

कर निर्माण कार्य करना चाहते हैं तथा वे प्रार्थी को धमकी दे रहे हैं कि, दुबारा निर्माण कार्य रोकने आये तो तुम्हें देख लेंगे। वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 से द्वारा अवैध रूप से प्रार्थी के वादग्रस्त कृषि भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर प्रार्थी को बेदखल करने की नियत से कब्जा जमाते हुए उस पर निर्माण करने की कोशिश की जा रही है। जिस कारण अप्रार्थी संख्या 1 को उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण कर निर्माण कार्य से नहीं करने से उसको रोका जाना आवश्यक ही बन न्यायोचित व न्यायसंगत है।

प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि उसके संयुक्त, स्वामित्व व आधिपत्य की है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि को अपना भूखण्ड कह रहा है। वास्तव में उक्त वादग्रस्त आराजी सर्वे नम्बर की उपरोक्त वर्णित भूमि वर्तमान में रेवेन्यु रेकॉर्ड में कृषि भूमि के रूप में दर्ज रेकार्ड है जो कि किसी भी प्रकार से आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित नहीं हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त कृषि भूमि आराजी सर्वे नम्बर 424/2 में जबरन रूप से अतिक्रमण करते हुए निर्माण कार्य करने आमादा है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 को वादग्रस्त कृषि भूमि आराजी सर्वे नम्बर 424/2 के किसी भी भू-भाग पर जबरन अतिक्रमण करते हुए निर्माण कार्य करने का कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। इन परिस्थितियों में प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित है, सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है तथा उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में प्रार्थी के पक्ष में और अप्रार्थी संख्या 1 के विरुद्ध अतिक्रमण व निर्माण नहीं करने तथा प्रार्थी के उक्त कृषि भूमि के उपयोग व उपभोग करने में किसी प्रकार की बाधा व व्यवधान अप्रार्थी संख्या 1 व उनके परिजनों द्वारा नहीं करने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई है तो प्रार्थी को असीम क्षति होगी जिनका मुल्यांकन रूपों में नहीं हो सकेगा। जिस कारण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है।

अप्रार्थी संख्या 1 का वादग्रस्त उल्लेखित सर्वे नम्बर के किसी भी भू-भाग पर किसी प्रकार का स्वामित्व व मालिकाना हक नहीं है। उसके पश्चात भी अप्रार्थी संख्या 1 उल्लेखित वादग्रस्त सर्वे नम्बर 424/2 की कृषि भूमि के भू-भाग में प्रवेश होकर अनाधिकृत रूप से प्रार्थी के उपयोग, उपभोग व शांतिपूर्ण कृषि कार्य में रुकावट व अडचन पैदा कर रहा है। जिस कारण अप्रार्थी संख्या 1 के विरुद्ध तथा प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक है।

वाद का व्यवहार कारण दिनांक 11.06.2020 को सुबह अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त उल्लेखित सर्वे नम्बर 424/2 के कृषि भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश होकर प्रार्थी के शांतिपूर्ण कृषि कार्य में अवरोध पैदा करने के कारण प्रार्थी द्वारा मौके पर पहुंचकर अवैध अतिक्रमण कर निर्माण कार्य करने से मना करने के पश्चात भी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अवैध आधिपत्य, निर्माण कार्य व विवाद अनवरत चालु रखने के कारण मौके पर विवाद हुआ।

प्रार्थी का उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के हक में तथा अप्रार्थी के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थी संख्या 1 मूल वाद के निर्णय तक वादग्रस्त उल्लेखित आराजी सर्वे नम्बर 424/2 रकबा 1 बीघा की भूमि पर प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जा-काश्त में किसी प्रकार की रुकावट, अडचन, लड़ाई-झगड़ा ना तो स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से ऐसा करावे एवं ना ही उक्त सर्वे नम्बर के किसी भू-भाग पर अतिक्रमण करते हुए किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य करावे।

फर्द दस्तावेज में असल जमाबन्दी संवत 2070-2073, जुज नक्शा ट्रेस मौजा बांसवाड़ा की छायाप्रति संलग्न प्रस्तुत किया है।

अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 18.06.2020 को प्रार्थना पत्र बाबत वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात की प्रतिया उपलब्ध कराने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी वादी द्वारा अप्रार्थी प्रतिवादी नं. 1 के विरुद्ध प्रस्तुत वाद व प्रार्थना-पत्र के सम्मन अप्रार्थी प्रतिवादी नम्बर 1 को प्राप्त हुवे है लेकिन प्रार्थी वादी द्वारा अपने वाद व प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज की प्रतिया अप्रार्थी प्रतिवादी को सम्मन के साथ उपलब्ध नहीं कराई है। प्रार्थी वादी द्वारा वाद व प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज की प्रतिया अप्रार्थी प्रतिवादी को सम्मन के साथ नहीं देने के कारण अप्रार्थी प्रतिवादी को सम्मन की तामील कानूनन नियमानुसार नहीं मानी जा सकती है। प्रार्थी वादी द्वारा अपने वाद व प्रार्थना पत्र में तथाकथित वर्णित वादी की कोई भूमि मौके पर विद्यमान नहीं है अप्रार्थी प्रतिवादी नम्बर 1 अपने स्वामित्व व आधिपत्य की आबादी भूमि पर नियमानुसार नगर परिषद बांसवाड़ा से चारदीवारी के निर्माण हेतु वर्ष 2015 में तामीर स्वीकृति प्राप्त कर 8-8 फीट ऊंची बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य वर्ष 2015 में करा लिया है तथा वर्तमान में टीनशेड हेतु एंगल लगाकर कैंची का निर्माण करा लिया है, मात्र टीन लगाना बाकी है तथा मौके पर अप्रार्थी प्रतिवादी नम्बर 1 का ही कब्जा विद्यमान है तथा अप्रार्थी प्रतिवादी नं.1 द्वारा अपने स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि पर मौके पर कराये गये निर्माण के फोटोग्राफ व तामीर स्वीकृति की प्रति प्रार्थना-पत्र संलग्न है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी वादी द्वारा वाद व प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज की प्रतिया अप्रार्थी प्रतिवादी को प्रार्थी वादी से दिलाये जाने के आदेश प्रदान करे ताकि प्रकरण में अप्रार्थी प्रतिवादी नं. 1 की ओर से विधिवत जवाब प्रस्तुत किया जा सके तथा अप्रार्थी प्रतिवादी नं. 1 द्वारा अपने

स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि पर मौके पर कराये गये निर्माण के फोटोग्राफ रेकार्ड पर लिये जाने के आदेश प्रदान कराना फरमावे।

श्री राजेन्द्र शुक्ला अभिभाषक द्वारा दिनांक 08.07.2020 को फर्द दस्तावेज में खसरा गिरदावरी 2076, जमाबन्दी 2070 से 2077, नक्षा ट्रेस 424/2 रकबा 1 बीघा वाके बांसवाड़ा की फोटोकॉपीया प्रस्तुत की गई।

दिनांक 01.02.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश हुआ। जिसमें बताया कि प्रार्थना पत्र की कलम नंबर 1 इस हद तक स्वीकार है कि, प्रार्थी ने एक दावा बाबत स्थाई निपेधाज्ञा हेतु न्यायालय में पेश किया है। लेकिन प्रार्थी का उक्त दावा ठोस आधार आधारित होना और प्रार्थी को उसमें सफलता मिलने की पूर्ण संभावना होना अस्वीकार है व प्रार्थी/वादी का दावा काबिल निरस्ती है।

अप्रार्थी नं. 1 की ओर से दिनांक 01.02.2021 को जवाब पेश कर निवेदन किया कि -

प्रार्थना पत्र की कलम नंबर 1 इस हद तक स्वीकार है कि, प्रार्थी ने एक दावा बाबत स्थाई निपेधाज्ञा हेतु आपके न्यायालय में प्रस्तुत किया है। लेकिन प्रार्थी का उक्त दावा ठोस आधार आधारित होना और प्रार्थी को उसमें सफलता मिलने की पूर्ण संभावना होना अस्वीकार है व प्रार्थी/वादी का दावा काबिल निरस्ती है।

प्रार्थना पत्र की कलम नं. 2 अस्वीकार है एवं इसमें वर्णित तथ्यों की जानकारी अप्रार्थी उत्तरदाता को नहीं है। प्रार्थी के स्वामित्व व खातेदारी का खाता नं. 691 नया 683 पुराना का आराजी सर्वे नं. 424/2 रकबा 01 बीघा कृषि भूमि वाके गांव बांसवाड़ा तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) में स्थित होने की जानकारी अप्रार्थी को नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि खातेदार रकमा पिता अमरा भील, निवासी रयानपुरा व धना पिता नाथू भील, निवासी डोकर बड़ी से कीमतन खरीदने की जानकारी उत्तरदाता अप्रार्थी को नहीं है। इस चरण में लिखित दिगर तथ्यों की जानकारी भी अप्रार्थी को नहीं है, प्रार्थी ठोस साक्ष्य से साबित करें।

प्रार्थना पत्र की कलम नं. 3 गलत होकर अस्वीकार है। सर्वे नं. 424/2 की भूमि पर प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं है तथा प्रार्थी व उसके परिवार के सदस्य उस पर काबिज नहीं है, न ही उक्त भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे हैं।

प्रार्थना पत्र की कलम नं. 4 गलत होकर अस्वीकार है। दिनांक 11.06.2020 को प्रार्थी का कृषि भूमि पर आना व अप्रार्थी नं. 1 द्वारा उसे धमकाना आदि तथ्य गलत होकर अस्वीकार है।

सही हकीकत यह है कि, अप्रार्थी नं. 1 व उसकी पत्नी श्रीमती फूल मेर के नाम से आबादी भूमि भूखण्ड संख्या बी-2, बी-4, सी-1, सी-2, सी-3, सी-4 जिनकी साईज पूर्व से पश्चिम उत्तर दिशा की ओर 75 फीट दक्षिण दिशा की ओर 95 फीट, उत्तर से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 181.1 फीट पश्चिम दिशा की ओर 232 फीट, कूल क्षेत्रफल 17519.65 वर्गफीट भूमि वाके गंगेराव बांसवाड़ा तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) में स्थित है तथा उक्त भूमि अप्रार्थी नं. 1 व उसकी पत्नी श्रीमती फूल मेर ने पृथक पृथक कूल 6 विक्रय पत्रों के द्वारा उक्त भूमि क्रय की है। लेकिन उक्त भूमि के दक्षिण दिशा में नाला होने से मौके पर दक्षिण दिशा की ओर भूमि कम होने से वर्तमान में संलग्न नक्षे में बताये अनुसार अप्रार्थी नं. 1 व उसकी पत्नी श्रीमती फूल मेर के नाम कुल 16044.125 वर्गफीट ही मौके पर विद्यमान है तथा अप्रार्थी नं. 1 व उसकी पत्नी श्रीमती फूल मेर उक्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है।

अप्रार्थी नं. 1 ने भूखण्ड संख्या सी-1 की भूमि कूल क्षेत्रफल 3228.75 वर्गफीट भूमि मुकेश वाधवानी व अन्य से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज क्रमांक 2014004036 दिनांक 10.06.2014 को क्रय की है। भूखण्ड संख्या सी-2 की भूमि कूल क्षेत्रफल 8071.25 वर्गफीट भूमि कमल वाधवानी व अन्य से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज क्रमांक 2014004037 दिनांक 10.06.2014 के क्रय की है व भूखण्ड संख्या बी-2 की भूमि कूल क्षेत्रफल 3920 वर्गफीट भूमि मुकेश वाधवानी व अन्य से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज क्रमांक 2014004035 दिनांक 10.06.2014 के क्रय की है।

इसी प्रकार अप्रार्थी नं. 1 की पत्नी श्रीमती फूल मेर के नाम से भूखण्ड संख्या बी-4 की भूमि क्षेत्रफल 600 वर्गफीट भूमि मुकेश वाधवानी व अन्य से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज क्रमांक 2014003931 दिनांक 05.06.2014 के क्रय की है, भूखण्ड संख्या सी-3 की भूमि क्षेत्रफल 525 वर्गफीट भूमि मुकेश वाधवानी व अन्य से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज क्रमांक 2014003930 दिनांक 05.06.2014 के क्रय की है एवं भूखण्ड संख्या

सी-4 की भूमि क्षेत्रफल 1174.65 वर्गफीट भूमि कमल वाधवानी व अन्य से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज क्रमांक 2014003929 दिनांक 05.06.2014 के क्रय की है तथा अप्रार्थी नं. 1 व उसकी पत्नी उक्त आबादी भूमि पर काबिज है तथा बिना किसी विवाद के क्रय दिनांक से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे हैं तथा अप्रार्थी नं. 1 ने नियमानुसार नगरपरिषद बांसवाड़ा से तामीर स्वीकृति क्रमांक तामीर/12559-60 दिनांक 12.02.2015 व अप्रार्थी नं. 1 की पत्नी श्रीमती फूल मेर ने भी नियमानुसार नगरपरिषद बांसवाड़ा से तामीर स्वीकृति क्रमांक तामीर/12561-62 दिनांक 12.02.2015 को प्राप्त कर बाउण्ड्री वाल बनाकर तथा चार दिवारी का निर्माण कर ऊपर लोहे के एंगल लगाकर टीनशेड का निर्माण कराया है तथा वर्तमान में अप्रार्थी नं. 1 के दुकान का सामान पड़ा है तथा उक्त कूल भूमि आबादी भूमि है। जो उक्त भूमि के पूर्व स्वामी श्री देवा पिता रामा भील निवासी बांसवाड़ा तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) ने अपने खातेदारी व कब्जे काशत के आराजी सर्वे नं. 425/4 रकबा 15 बिस्वा में से 1305 वर्गगज भूमि वाके गांव बांसवाड़ा स्थित को कृषि से आवासीय प्रयोजनार्थ श्रीमान सहायक कलेक्टर एवं प्राधिकृत अधिकारी भूरू.बांसवाड़ा के आदेश क्रमांक /भूरू/93/468/94/942-46 दिनांक 05.09.1994 को रूपांतरित कराई है तथा श्री छगन पिता मनजी भील निवासी बांसवाड़ा तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) ने अपने खातेदारी व कब्जे काशत के आराजी सर्वे नं. 425/5 रकबा 15 बिस्वा में से 1444 वर्गगज भूमि वाके गांव बांसवाड़ा स्थित को कृषि से आवासीय प्रयोजनार्थ श्रीमान सहायक कलेक्टर एवं प्राधिकृत अधिकारी भूरू.बांसवाड़ा के आदेश क्रमांक /भूरू/93/469/94/932-36 दिनांक 05.09.1994 को रूपांतरित कराई है तथा देवा व छगन ने उक्त भूमि को भूखण्डों में विभक्त कर अलग-अलग विक्रय पत्रों द्वारा मुकेश वाधवानी व कमल वाधवानी को विक्रय किये हैं तथा मुकेश वाधवानी व कमल वाधवानी ने ऊपर बताए अनुसार पृथक-पृथक विक्रय पत्रों के द्वारा अप्रार्थी नं. 1 व उसकी पत्नी श्रीमती फूल मेर को विक्रय किए तथा अप्रार्थी नं. 1 व उसकी पत्नी उक्त भूमि पर क्रय दिनांक से काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं तथा उक्त भूमि पर नियमानुसार नगर परिषद बांसवाड़ा से तामीर स्वीकृति प्राप्त कर चारों ओर चार दिवारी बनाकर एंगल डालकर टीन शेड का निर्माण कराया है।

प्रार्थना पत्र की कलम नं. 5 गलत होकर अस्वीकार है। अप्रार्थी नं. 1 उत्तरदाता ने अपने रिश्तेदारों व परिचितों के माफत प्रार्थी की किसी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है, न ही प्रार्थी की कृषि भूमि पर निर्माण करने की चेष्टा की है। प्रार्थी व उसके परिचितों द्वारा निर्माण नहीं करने दिया हो, यह बात भी गलत है तथा प्रार्थी ने पुलिस थाना में कोई परिवाद दिया हो तो उसकी जानकारी अप्रार्थी उत्तरदाता को नहीं है। अप्रार्थी नं. 1 ने प्रार्थी को कोई आश्वासन नहीं दिया था।

प्रार्थना पत्र की कलम नं. 6 गलत होकर अस्वीकार है। अप्रार्थी नं. 1 ने लॉकडाउन की अवधि का कोई गलत फायदा नहीं उठाया है वरन अप्रार्थी नं. 1 का निर्माण पहले से चल रहा था तथा उसने अपना निर्माण नियमानुसार तामीर स्वीकृति के अनुसार कराया है और अप्रार्थी नं. 1 ने प्रार्थी की किसी कृषि भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। अप्रार्थी नं. 1 ने प्रार्थी को कोई धमकी नहीं दी है, न ही अप्रार्थी नं. 1 ने अवैध रूप से प्रार्थी के वादग्रस्त कृषि भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर प्रार्थी को बेदखल करने का प्रयास किया है, बल्कि अप्रार्थी नं. 1 ने अपनी आबादी भूमि पर ही निर्माण कार्य किया है तथा उसे अपनी भूमि पर निर्माण कार्य करने का पूरा-पूरा हक अधिकार है। अप्रार्थी नं. 1 को उसके स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि पर निर्माण कार्य करने से किसी प्रकार से रोका जाना आवश्यक नहीं है। इस चरण में लिखित दिगार तथ्य भी गलत होकर अस्वीकार है।

प्रार्थना पत्र की कलम नं. 7 गलत होकर अस्वीकार है। अप्रार्थी नं. 1 अपने स्वामित्व व आधिपत्य की क्रयशुदा आबादी भूमि पर ही निर्माण कार्य किया है तथा वह उस पर काबिज है। अप्रार्थी नं. 1 ने अपनी आबादी भूमि पर ही निर्माण कार्य किया है। अप्रार्थी नं. 1 ने आराजी सर्वे नं. 424/2 की भूमि पर किसी प्रकार से कोई अतिक्रमण नहीं किया है, न ही निर्माण कार्य किया है। इस चरण में लिखित तथ्य गलत होकर अस्वीकार है। अप्रार्थी नं. 1 ने अपने द्वारा क्रय की गई आबादी भूमि पर ही निर्माण कार्य कराया है। इस कारण प्रार्थी का दावा प्रथम दृष्टया होना अस्वीकार है एवं सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। इस चरण में बताए अनुसार प्रार्थी को कोई असीम क्षति भी नहीं हो रही है। अप्रार्थी नं. 1 ने प्रार्थी की किसी भी भूमि पर कोई

h

अतिक्रमण नहीं किया है। अप्रार्थी नं. 1 अपनी भूमि पर काबिज है तथा उसका टीनशेड बना हुआ है, एवं प्रार्थी का उक्त भूमि पर कभी भी कोई कब्जा या आधिपत्य नहीं रहा है तथा कब्जे के अभाव में प्रार्थी अप्रार्थी के विरुद्ध कोई अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नहीं है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से नहीं रोका जा सकता है तथा अप्रार्थी नं. 1 को अपनी भूमि पर जाने से रोका गया तो उसे ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी, जिसका रूपों में मूल्यांकन नहीं हो पायेगा।

प्रार्थना पत्र की कलम नं. 8 गलत होकर अस्वीकार है। अप्रार्थी नं. 1 अपने स्वामित्व व आधिपत्य की क्रयशुदा आबादी भूमि पर काबिज है तथा उसका निर्माण किया हुआ है। अप्रार्थी नं. 1 ने प्रार्थी की किसी भी कृषि भूमि पर कोई अनाधिकृत कब्जा नहीं किया है। इस कारण अप्रार्थी नं. 1 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक नहीं है।

प्रार्थना पत्र की कलम नं. 9 अस्वीकार है। उक्त भूमि आबादी भूमि है तथा आबादी भूमि के संबंध में विचारण माननीय न्यायालय में बाधित होने से वाद/प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का नहीं है।

प्रार्थना पत्र की कलम नं. 10 गलत होकर अस्वीकार है। इस चरण में बताए अनुसार प्रार्थी को दिनांक 11.06.2020 की सुबह कोई व्यवहार कारण पैदा नहीं होता है। अप्रार्थी नं. 1 ने प्रार्थी की 424/2 की कृषि भूमि पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश नहीं किया है, न ही अतिक्रमण कर कोई निर्माण कार्य किया है, बल्कि अप्रार्थी नं. 1 ने अपने स्वयं के स्वामित्व व आधिपत्य की क्रयशुदा आबादी भूमि पर नियमानुसार निर्माण कार्य कराया है। प्रार्थी ने इस चरण में झुटे व बनावटी तथ्यों को उल्लेख किया है।

प्रार्थना पत्र की कलम नं. 11 व 12 कानूनी है। प्रार्थी का शपथ-पत्र झुटा है व अस्वीकार है।

जवाब प्रार्थना पत्र की द्वितीय प्रति व अप्रार्थी नं. 1 का शपथ पत्र संलग्न है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी नं. 1 के विरुद्ध झुटा व बनावटी तथ्यों के आधार पर दावा/प्रार्थना पत्र अप्रार्थी नं. 1 को मात्र हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से व उस पर दबाव बनाकर व झुटा दावा लाकर उससे रकम वसूल करने के उद्देश्य से पेश किया है। इस कारण अप्रार्थी नं. 1 प्रार्थी से बतौर हर्जाने के रूप में रुपया 50,000/- अक्षरे पचास हजार रुपया मात्र पाने का अधिकारी हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी संख्या 1 सव्यय निरस्त कराना फरमावे।

दिनांक 29.07.2021 को विद्वान अभिभाषक गणों की मजिद बहस सुनी गई। प्रार्थी विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र शुक्ला ने अपने कथन में बताया कि अभी तो प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन ही देखना है, आराजी सर्वे नम्बर 424/2 रेवेन्यू रेकार्ड में कृषि दर्ज रेकार्ड है इस भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 को इस भूमि के किसी भी भू-भाग पर अतिक्रमण करने व निर्माण करने का कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। इन परिस्थिति में प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की तो प्रार्थी को असीम क्षति होगी। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करावे।

अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता श्री हीरालाल जैन ने अपने कथन में बताया कि प्रार्थी के स्वामित्व व खातेदारी का खाता नं. 691 नया 683 पुराना का आराजी सर्वे नं. 424/2 रकबा 01 बीघा कृषि भूमि वाके गांव बांसवाड़ा तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) में स्थित होने की जानकारी अप्रार्थी को नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि खातेदार रकमा पिता अमरा भील, निवासी श्यामपुरा व धना पिता नाथू भील, निवासी डोकर बड़ी से कीमतन खरीदने की जानकारी उत्तरदाता अप्रार्थी को नहीं है। इस चरण में लिखित दिगर तथ्यों की जानकारी भी अप्रार्थी को नहीं है, प्रार्थी ठोस साक्ष्य से साबित करें। सर्वे नं. 424/2 की भूमि पर प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं है तथा प्रार्थी व उसके परिवार के सदस्य उस पर काबिज नहीं है, न ही उक्त भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे हैं। दिनांक 11.06.2020 को प्रार्थी का कृषि भूमि पर आना व अप्रार्थी नं. 1 द्वारा उसे धमकाना आदि तथ्य गलत होकर अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या-1 व उसकी पत्नी श्रीमती फूल मेर ने भूखण्ड संख्या बी-2, बी-4, सी-1, सी-2, सी-3, सी-4, कुल 17519.65 वर्गफीट भूमि वाके गंगेराव बांसवाड़ा तहसील व जिला बांसवाड़ा में स्थित को कुल 6 विक्रय पत्रों द्वारा भूमि क्रय की है। वर्तमान में संलग्न नक्शों में बताये अनुसार 16044.125 वर्गफीट ही मौके पर विद्यमान है। जिस पर अप्रार्थी न-1 व उनकी पत्नी श्रीमती फुल मेर काबिज होकर उपयोग व उपभोग कर रहे हैं। अप्रार्थी नं. 1 ने भूखण्ड संख्या सी-1 की भूमि कुल क्षेत्रफल 3228.75

वर्गफीट, भूखण्ड संख्या सी-2 की भूमि कुल क्षेत्रफल 8071.25 वर्गफीट, भूखण्ड संख्या बी-1 की भूमि कुल क्षेत्रफल 3920 वर्गफीट भूमि जरिये विक्रय पत्र दस्तावेज से क्रय की है। इसी प्रकार श्रीमती फुल मेर के नाम से भूखण्ड संख्या बी-4 की भूमि कुल क्षेत्रफल 600 वर्गफीट, भूखण्ड संख्या सी-3 की भूमि कुल क्षेत्रफल 525 वर्गफीट, भूखण्ड संख्या सी-4 की भूमि कुल क्षेत्रफल 1174.65 वर्गफीट भूमि भी जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों द्वारा क्रय कर उक्त आबादी भूमि पर काबिज है तथा बिना किसी विवाद के क्रय दिनांक से उपयोग व उपभोग कर रहे हैं। अप्रार्थी नं. 1 ने नियमानुसार नगर परिषद बांसवाड़ा से तामीर स्वीकृति क्रमांक तामीर/12559-60 दिनांक 12.02.2015 व अप्रार्थी नं. 1 की पत्नी श्रीमती फुल मेर ने भी नियमानुसार नगर परिषद बांसवाड़ा से तामीर स्वीकृति क्रमांक तामीर/12561-62 दिनांक 12.02.2015 को प्राप्त कर बाउण्ड्रीवाल बनाकर तथा चार दिवारी का निर्माण कर ऊपर लोहे के एंगल लगाकर टीनशेड का निर्माण कराया है तथा वर्तमान में दुकान का सामान पडा है। उक्त कुल भूमि आबादी है। जो उक्त भूमि के पूर्व स्वामी श्री देवा पिता रामा भील निवासी बांसवाड़ा तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) ने अपने खातेदारी व कब्जे काशत के आराजी सर्वे नं. 425/4 रकबा 15 बिस्वा में से 1305 वर्गगज भूमि वाके गांव बांसवाड़ा स्थित को कृषि से आवासीय प्रयोजनार्थ श्रीमान सहायक कलेक्टर एवं प्राधिकृत अधिकारी भूरू.बांसवाड़ा के आदेश क्रमांक /भूरू/93/468/94/942-46 दिनांक 05.09.1994 को रूपांतरित कराई है तथा श्री छगन पिता मनजी भील निवासी बांसवाड़ा तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.) ने अपने खातेदारी व कब्जे काशत के आराजी सर्वे नं. 425/5 रकबा 15 बिस्वा में से 1444 वर्गगज भूमि वाके गांव बांसवाड़ा स्थित को कृषि से आवासीय प्रयोजनार्थ श्रीमान सहायक कलेक्टर एवं प्राधिकृत अधिकारी भूरू.बांसवाड़ा के आदेश क्रमांक /भूरू/93/469/94/932-36 दिनांक 05.09.1994 को रूपांतरित कराई है तथा देवा व छगन ने उक्त भूमि को भूखण्डों में विभक्त कर अलग-अलग विक्रय पत्रों द्वारा मुकेश वाधवानी व कमल वाधवानी को विक्रय किये हैं तथा मुकेश वाधवानी व कमल वाधवानी ने ऊपर बताए अनुसार पृथक-पृथक विक्रय पत्रों के द्वारा अप्रार्थी नं. 1 व उसकी पत्नी श्रीमती फूल मेर को विक्रय किए तथा अप्रार्थी नं. 1 व उसकी पत्नी उक्त भूमि पर क्रय दिनांक से काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं तथा उक्त भूमि पर नियमानुसार नगर परिषद बांसवाड़ा से तामीर स्वीकृति प्राप्त कर चारों ओर चार दिवारी बनाकर एंगल डालकर टीन शेड का निर्माण कराया है। अप्रार्थी नं. 1 ने अपनी आबादी भूमि पर निर्माण कार्य किया है तथा उसे अपनी भूमि पर निर्माण कार्य करने का पूरा-पूरा हक अधिकार है। अप्रार्थी नं.1 ने प्रार्थी की आराजी सर्वे नम्बर 424/2 की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। न धमकी दी है। न निर्माण कार्य किया है। अतः प्रार्थी का दावा प्रथम दृष्टया होना अस्वीकार है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 1 ने बहस के समर्थन में निम्न नजीर पेश की गई :-

नजीर 1- BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER 2017 (1) RRT 259 HON'MEMBER MR. MOHAN LAL NEHRA Revision TA No. 1158/Sriganganagar of 2014 Decided on 14 th Oct, 2016 नजीर में राजस्थान काशतकारी अधिनियम, 1955-धारा 212 अस्थायी निषेधाज्ञा-प्रार्थना-पत्र खारिज किया-आदेश अपील में पुष्ट हुआ-विवादित आराजी अप्रार्थी नं. 1 के नाम दर्ज थी-प्रार्थी का विवादित भूमि के किसी भी भू-भाग पर कब्जा नहीं-दस्तावेज की वैधता विचारण के समय परीक्षित होगी-निर्णीत आदेश में अवैधता नहीं है तथा निगरानी सारहीन है व खारिज की। निगरानी खारिज।

नजीर 1- BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER 2011 (1) RRT 403 SHRI SHIV KUMAR : MEMBER Revision TA/No. 6490/Bundi of 2002 Decided on 14 th Jan., 2016 नजीर में राजस्थान काशतकारी अधिनियम, 1955-धारा 212 अस्थायी निषेधाज्ञा-आवेदन खारिज किया-प्रतिकूल कब्जा के आधार पर वाद पेश किया-अप्रार्थी नं. 1 रेकार्डड खातेदार है और वह भूमि के कब्जे में है-प्रार्थी स्वत्व एवं प्रश्नगत भूमि पर कब्जा साबित करने में असफल रहा-निचले न्यायालयों के आदेश में अधिकारिता की त्रुटि नहीं है। निगरानी खारिज।


उक्त पत्रावली का अवलोकन एवं विद्वान अधिवक्तागणों की बहस एवं बहस के समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों पर भी गहन मनन किया। तो पाया कि उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि व क्रय की गई भूमि भिन्न-भिन्न आराजी नम्बर की है। प्रार्थी का भूमि पर कब्जा व दस्तावेजों की वैधता विचारण के समय परीक्षित होगी। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आंशिक-आंशिक निर्णित किया जाना उचित होगा। प्रार्थी व अप्रार्थीगण ऐसी स्थिति में, मैं मेरिट एवं साक्ष्यों के आधार पर निर्णय

h

देना उचित समझता हूँ। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत पूर्णतया योग्य नही होने से अस्वीकार किया जाना प्रथम दृष्टया उचित होगा।

आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू प्राथी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत अस्वीकार किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया जाता है। पत्रावली मूल पत्रावली के साथ संलग्न किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 23-03-2022 को सुनाया गया।

  
(पर्वतसिंह चुण्डावत)  
उपखण्ड अधिकारी  
बांसवाड़ा